कोरोना अतिआवश्यक

कार्यालय अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एवं जिला कलक्टर, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.gov.in
0141-2209007, 2209001(O) 0141-2209000(Fax) Email:- dm-jaip-rj@nic.in

क्रमांक / जिआप्रप्रा / सहायता / विविध / 2020 / 487 दिनांक 19/4/20

–:आदेश:–

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा **COVID-19** (कोरोना वायरस) को वैश्विक महामारी घोषिक किया गया है। भारत सरकार द्वारा यह आपदा घोषित हो चुकी है। कोरोना वायरस का फैलाव श्रृंखलाबद्ध रूप से त्वरित होता है। भारत सरकार के निर्देशों क्रमांक 40–3 / 2020–डीएम–1(ए) दिनांक 15.04.2020 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.33(2)होम / ग्रुप–9 / 2019 दिनांक 15.04.2020 से संशोधित लॉक डाऊन लागू किया जाना है। इसलिये भारत सरकार द्वारा दिनांक 03.05.2020 तक सम्पूर्ण लॉक डाऊन घोषित किया गया है जिसमें कुछ सीमित श्रेणी संख्या में कार्यालय / संस्थान आदि अनुमत किए गए है इन निर्देशों के क्रम में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के क्रम में निम्न निर्देश दिये जाते है:–

नवीनतम निर्देश Containment Zone (Curfew Area) में लागू नही होगे।

1. सम्पूर्ण जिले में 03 मई 2020 तक निम्नलिखित गतिविधियों पर निषेध रहेगा:–

(i) सुरक्षा उद्देश्यों अथवा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमत को छोडकर सभी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा।

(ii) सुरक्षा उद्देश्यो को छोडकर, ट्रेनो के द्वारा सभी यात्री आवागमन।

(iii) सार्वजनिक परिवहन के लिये बसे।

(iv) मैट्रो रेल सेवाऐ।

(v) चिकित्सकीय कारणो को छोडकर या इन दिशा निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों का अन्तर्राज्यीय अथवा राज्य के भीतर आवागमन।

(vi) सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिगं संस्थान बन्द रहेगे। ऑनलाईन अध्यापन / कक्षाओं को प्रोत्साहन एवं सुविधा दी जायेगी।

(vii) इन दिशा निर्देशो के तहत विशेष रूप से अनुमत गतिविधियों के अलावा सभी औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां।

(viii) इन दिशा निर्देशो के तहत विशेष रूप से अनुमत आतिथ्य सेवाओ के अलावा अन्य आतिथ्य सेवायें / होटल आदि

(ix) टेक्सी (ऑटो रिक्शा एवं साईकिल रिक्शा सहित), कैब समूह सेवाये (Cab Aggregators services)

(x) सभी सिनेमा हॉल, माल, शोपिग माल, व्यायाम शालाएं, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, स्वीमींग पूल,मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार एवं एसेम्बली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेगे।

(xi) सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह।

(xii) सभी धार्मिक स्थल / पूजा स्थल जनता के लिये बन्द रहेंगें। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे।

(xiii) अन्तिम संस्कार हेतु 20 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

3. दुकानेः– होम डिलीवरी पर जोर दिया जायेगा। दुकानो पर न्यूनतम आवाजाही होः– अनुमत दुकानों की श्रेणियों मे निम्न शामिल हैः–

a. केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण आदि, आयुष, पशु चिकित्सा दवाईयां आदि
b. किराना एवं प्रोविजन स्टोर जो सभी प्रकार की खाद्यान्नों एवं खाद्य पदार्थो (सभी अवयवों, सॉस, पैकेज फूड आदि सहित) और दैनिक आवश्यकताओं जैसे स्वच्छता उत्पाद हैन्डवाश, साबुन, बॉडी वाश, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, टूथपेस्ट, ओरल केयर, सेनेट्री पेड्स, डायपर, कीटाणु–नाशक, सरफेश क्लीनर, डिटर्जेन्ट, चार्जर एवं बैट्री सेल इत्यादि का विक्रय करते है।
c. फल एवं सब्जियां, दूध, डेयरी उत्पाद, अण्डे, मीट, चिकिन एवं फिश।
d. पशु एवं पशु आहार एवं मुर्गी दाना के डिपो एवं इनसे जुडे हुये संबंधित विक्रय केन्द्र।
e. कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला के उपकरण।
f. कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणों, स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकाने।
g. रेस्टोरेंट एवं भोजनालय आदि– **केवल होम डिलीवरी**
h. विशेषरूप से राजमार्गो पर ट्रको की मरम्मत के लिये कार्यशाला/दुकाने
i. उचित दूरी पर टायर, पंक्चर/रिपेयर की दुकाने
j. राजमार्गो पर भोजन हेतु उचित दूरी पर ढाबे (जैसे–40 किलोमीटर) पर आउटडोर खाने की सुविधा के साथ।
k. सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकृत कंपनी सेवा/मरम्मत केन्द्र।
l. अनुमत परिवहन वाहनो के लिये स्पेयर पार्ट्स की दुकाने।

नोटः– (a) दुकानदार द्वारा जिस किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहन रखा है उसको बिक्री नही की जायेगी और न ही दुकान में प्रवेश दिया जायेगा।
(b) एक समय पर छोटी दुकान में 2 से अधिक एवं बडी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओ को प्रवेश की अनुमति नही होगी।

पास व्यवस्थाः– दुकानो के मालिकों तथा दुकानो का स्टॉफ जो होम डीलीवरी में नियोजित है सहित, को जिला प्रशासन/पुलिस द्वारा पास जारी किये जायेगें। RAJCOP Citizen APP अथवा ऑनलाईन http://epass.rajasthan.gov.in पर एप्लाई करने पर प्राप्त होगे।

4. सेवाऐं

(a) होम डिलीवरी/कूरियर सर्विस
होम डीलीवरी कम्पनियां जो सभी आवश्यक वस्तुओं/सामानों की आपूर्ति करती है, में उनके कार्यालयों/भण्डार गृहो तथा व्यक्तियों की पूरी श्रृंखला सम्मिलित है। डिलीवरीकर्मी मास्क, दस्ताने और सैनेटाइजर जैसे सभी सुरक्षा प्रोटॉकोल का पालन करना सुनिश्चित करेगें।
पास व्यवस्थाः–*ऐसी सभी कम्पनियां को अधिकार पत्र दिये जायेगें। ऐसी कम्पनियां जो राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर संचालित होती है, को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से अधिकार पत्र या पास प्राप्त करेगें तथा जो कम्पनियां जिला स्तर पर संचालित है, जिला कलक्टर कार्यालय से अधिकार पत्र प्राप्त करेगें। ऐसे डिलीवरी करवाने वाले व्यक्ति कम्पनी की वर्दी में होगें और कम्पनी के वैध पहचान पत्र तथा अनुमति पत्र को साथ रखेगें।*

(b) उपयोगिता सुविधाऐ :– स्वरोजगार में लगे व्यक्तियो द्वारा उपलब्ध कराई गयी सुविधाऐं जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आईटी मरम्मत, मोटर और अन्य मैकेनिक, कारपेन्टर्स, मोची, लॉन्डरी एवं धोबी आदि।

(c) निजी सुरक्षा सेवाऐं सुविधा प्रबन्धन सेवाऐंः– कार्यालय तथा रिहायशी कॉम्पलैक्स के रख–रखाव एवं मरम्मत के लिये, सेवा देने वाला कार्मिक यूनिफार्म में होना चाहिए तथा कम्पनी का पहचान पत्र लेकर चलेगा।
पास व्यवस्थाः– *RAJCOP Citizen APP अथवा http://epass.rajasthan.gov.in पर एप्लाई करने पर प्राप्त होगे।*

Scanned with CamScanner

5. वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान

(**a**) बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम, :— बैंक संचालन के लिये आईटी विक्रेता, बैंकिग अभिकर्ता और एटीएम के संचालन एवं नकदी प्रबन्धन एजेन्सीज।

पास व्यवस्था:— कुछ समय के लिये अधिकारीक पहचान पत्र पर्याप्त होगा। तथापि शाखा प्रबंधन एक समान पास के लिए RAJCOP Citizen APP अथवा http://epass.rajasthan.gov.in पर एप्लाई करने पर प्राप्त होगे।

(**b**) प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रसारण एवं केबल सेवाए :—

पास व्यवस्था:— अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होगा।

(**c**) टेलीकम्युनिकेशन, इन्टरनेट सर्विसेज, आईटी सक्षम सेवाऐ :— डाटा एवं कॉल सेन्टर्स (केवल सरकारी गतिविधियो/आवश्यक सेवाओं के लिये) जहां तक संभव हो "वर्क फ्रोम होम" किया जावे। अन्य आई टी एवं आई टी सक्षम सेवाओं के लिये 50 प्रतिशत स्टाफ क्षमता के साथ और जहां तक संभव हो वर्क फ्रोम किया जावे। ऐसी कम्पनियां सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से अधिकृत अधिकारी से अधिकार पत्र प्राप्त करेगी।

पास व्यवस्था *कम्पनी द्वारा कम्पनी के लैटर हैड पर कर्मचारी का नाम इंगित करते हुये अधिकार पत्र जारी किये जायेगे। प्रत्येक कर्मचारी को अधिकार पत्र एवं कम्पनी द्वारा जारी पहचान पत्र साथ लेकर चलना आवश्यक है। यह सलाह दी जाती है कि परेशानी मुक्त आवागमन के लिये यह कम्पी/सेवा प्रदाता/उनके कर्मचारी के हित में होगा कि वे राजकॉप सिटीजन एप से ऑनलाईन http://epass.rajasthan.gov.in पर आवेदन करेगे। कम्पनी के स्वामित्व या अनुबंधित केरिजेजॅवाहन जो स्टाफ के परिवहन के लिये नियोजित किये गये के जिये कम्पनी द्वारा वाहन चालक को वाहन नम्बर एवं अधिकृत रूट अंकित करते हुये अधिकार पत्र जारी किया जायेगा।*

(**d**) पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम एवं गैस के खुदरा एवं स्टोरेज आउटलेट्स

पास व्यवस्था:— कम्पनी द्वारा कम्पनी के लेटर हेड पर कर्मिको को अधिकार पत्र जारी किया जायेगा। प्रत्येक कर्मचारी को अधिकार पत्र एवं कम्पनी द्वारा जारी पहचान पत्र साथ लेकर चलना आवश्यक है। यह सलाह दी जाती है कि परेशानी मुक्त आवागमन के लिये यह कम्पी/सेवा प्रदाता/उनके कर्मचारी के हित में होगा कि वे राजकॉप सिटीजन एप से ऑनलाईन http://epass.rajasthan.gov.in पर आवेदन करेगे।

(**e**) परिवहन सेवाओं के कार्यालय एवं गोदाम (सामान के आवागमन के लिये)

पास व्यवस्था:— RAJCOP Citizen APP अथवा http://epass.rajasthan.gov.in पर आरटीओ /डीटीओ को आवेदन करेगे।

(**f**) उर्जा उत्पादन, सम्प्रषण एवं वितरण ईकाइया एवं सेवाए

पास व्यवस्था कम्पनी द्वारा कम्पनी के लैटर हैड पर कर्मचारी का नाम इंगित करते हुये अधिकार पत्र जारी किये जायेगे। प्रत्येक कर्मचारी को अधिकार पत्र एवं कम्पनी द्वारा जारी पहचान पत्र साथ लेकर चलना आवश्यक है।

(**g**) भारत के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अधिसूचित केपीटल एवं ऋण बाजार सेवाऐ

(1) न्यूनतम स्टाफ के साथ गैर–बैकिंग वितिय संस्थाएं जिसमें हाउसिंग फाईनेंस कम्पनी और माइक्रो फाईनेंस संस्थान शामिल है।

(2) सहकारी साख समितियां

पास व्यवस्था:— RAJCOP Citizen APP अथवा http://epass.rajasthan.gov.in पर एप्लाई करने पर प्राप्त होगे।

6. उधोग एवं कार्यशालाएं

a दवाईयॉ, औषधीय चिकित्सा उपकरण, इनके कच्चे माल तथा इनके मध्यवर्ती उत्पाद ईकाईयॉ

b खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण ईकाईयॉ, तेल मिलों, चावल मिलों, आटा/दाल चक्की आदि सहित आवश्यक वस्तु एवं सभी प्रकार के खाद्य सामान एवं मध्यवर्ती उत्पाद इकाईयॉ।

c उत्पादन ईकाईयॉ जिनकी Continous Process "आवश्यक है कोयला एवं मिनरल्स उत्पादन, खानो

Scanned with CamScanner

के संचालन के लिए विस्फोटक एवं अनुषांगिक गतिविधयॉ।

d केमिकल कारखानें, उस समय तक जब तक कि उनका वर्तमान उत्पादन चक्र समाप्त नही हो जाता।

e फार्म मशीनरी एवं उपकरण स्पेयर पार्ट्स की उत्पादन ईकाइयां एवं आपूर्ति श्रृखला के सभी आईटम।

f खाद बीज एवं कीटनाशक उत्पादन ईकाइयॉ तथा आपूर्ति श्रृखला, कच्चा माल एवं मध्यवर्ती संबंधित इकाईयॉ

g पशु आहार एवं मुर्गी दाना उत्पादन ईकाइयॉ एवं कच्चा माल एवं सप्लाई श्रृखला से संबंधित अन्य सामान

h सभी प्रकार के उद्योग के लिये पैकेजिंग सामान उत्पादन करने वाली ईकाइयां तथा अन्य आईटम के लिये जो इस आदेश की अनुमत श्रेणी मे है।

i एम्बूलेंस निर्माण/बॉडी बिल्डिंग एवं किसी भी प्रकार का चिकित्सा वाहन

j ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित सभी उद्योग जो नगरीय क्षेत्र की सीमा से बाहर है

k खादी सहित कुटीर एवं घरेलु उद्योग

l तेल एवं गैस का उत्खनन / परिष्करण, रिफाईनरी

m सूचना तकनीकी के हार्डवेयर निर्माण

n **जयपुर नगर निगम (ग्रेटर एवं हैरिटेज) क्षेत्र के अलावा शेष जयपुर जिले में** विशेष आर्थिक क्षेत्रो (SEZ) और निर्यातोन्मुख इकाईयो, रीको औद्योगिक क्षेत्र, फूडपार्क, मसाला पार्क और निजी औद्योगिक क्षेत्रो में पहुंच नियंत्रण के साथ विनिर्माण और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान। ऍसे प्रतिष्ठान, जहां तक संभव हो गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 15 अप्रेल 2020 की गाईडलाईन्स के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया की क्रियान्विति हेतु श्रमिको को अपने परिसर के भीतर ठहराने की व्यवस्था करेंगें या निकटवर्ती भवनो में। कार्यस्थान पर श्रमिको के परिवहन के लिये सामाजिक दूरी सुनिश्चित करते हुए समर्पित वाहनो की व्यवस्था की जायेगी। मोडीफाईड लॉकडाउन के लागू होने से पूर्व अत्यावश्यक (Essential Sevices) हेतु संचालित गतिविधियां/उद्योग यथावत चलते रहेगें तथा मोडीफाईड लॉकडाडन में अत्यावश्यक (Essential Sevices) सेवाओं से जुडे उद्योग संचालित हो सकेगें।

नोटः– (1) गृह विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आदेश कमांक प. 33(2) गृह 9/2019 दिनांक 15.04.2020 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दू संख्या 6 (N) जयपुर नगर निगम (ग्रेटर एवं हैरिटेज) क्षेत्र में लागू नही होगे।

(2) अन्य बिन्दुओं पर उद्योग विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक कोविड–16/spl/Ind/ दिनांक 19.04.2020 की पालना सुनिश्चित की जाऐ।

(भारत सरकार द्वारा जयपुर शहर को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। जयपुर जिले में 20 से अधिक कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किये गये है, जिनमें निषेघाज्ञा (curfew) लागू कर दिया गया है। अधिकांश कन्टेनमेन्ट जोन जयपुर शहर के औधोगिक क्षेत्रों के आसपास स्थित है तथा औधोगिक क्षेत्र, भीडभाड़ वाले क्षेत्र से सटे होकर कन्टेनमेन्ट एरिया से जुड़े हुए है। जिस कारण से औधोगिक क्षेत्रों में मोडिफाईड लॉकडाउन में ओधोगिक गतिविधियां अनुमत करने से कोरोना संक्रमण के बढने की बहुत अधिक सम्भावना है। ऐसी स्थिति में जयपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित औधोगिक क्षेत्रों में औधौगिक गतिविधियों को जनहित एंव कोरोना संक्रमण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए अनुमत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।)

Scanned with CamScanner

o ईट भट्टे

पास व्यवस्था–

1. उद्योगों के लिये– संबंधित रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिये वरिष्ठ क्षेत्रिय प्रबंन्धक एवं क्षेत्रिय प्रबन्धक द्वारा। अन्य सभी बाहर स्थित उद्योगो के लिए महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द द्वारा ऑनलाईन पास हेतु http://epass.rajasthan.gov.in पर आवेदन करेगे।

2. ग्राम उद्योग, कुटीर एवं घरेलू उद्योग– श्रमिकों के लिये जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त दो श्रेणियों के लिये राजस्थान खादी बोर्ड /जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये पास के माध्यम से आपूर्ति श्रृखंला के लिये कच्चे माल एवं सग्रंह की व्यवस्था की अनुमति है।

3. जो श्रमिक कारखाने के परिसर में हर निवास कर रहे है उनके लिये पास की आवश्कता नही है क्योकि उनका आवागमन नही होता है।

7. भण्डार गृह एवं गोदाम

(a) सभी वस्तुओ के सभी भण्डार गृह एवं गोदाम जिनमें उनके कार्यालय तथा परिवहन कम्पनियों के डिपो शामिल है, के लिये सामान चटाने एवं उतारने के लिये न्यूनतम श्रमिक एवं कार्यालय स्टाफ।

(b) कोल्ड स्टोरेज

पास व्यवस्था:– संबंधित रीको औद्योगिक क्षेत्र के वरिष्ठ क्षेत्रिय प्रबंधक/क्षेत्रिय प्रबंधक अधिकारी द्वारा एवं भारतीय खाद्य निगम/राजस्थान राज्य भण्डार गृह निगम द्वारा स्वयं के या किराये पर लिये गोदामो के लिये व परिवहन वाहनो एवं गोदामो के लिये जिला परिवहन अधिकारी

8. निर्माण गतिविधियां

(a) चिकित्सा/स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण

(b) **ग्रामीण क्षेत्रो** में अर्थात नगर निगमो/नगर परिषदो तथा नगर पालिकाओ की सीमाओ से बाहर, सडको, सिचाई परियोजनाओ, भवनो और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओ, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग सहित और रीको एवं निजी औद्योगिक क्षेत्र में सभी प्रकार की परियोजनाऐ।

(c) अक्षय उर्जा परियोजनाओ का निर्माण

(d) नगर निगमो, नगर परिषदो, नगर पालिकाओ की सीमाओ के अन्दर निर्माण परियोजनाओ के कार्यो की निरन्तरता जारी रखना जहां साईट पर श्रमिक उपलब्ध है और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नही है।

(e) महानरेगा कार्य :– सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता उपायों जिनमें चेहरे पर मास्क लगाना शामिल है की
कडाई से पालना करते हुए अनुमत होगे। सिंचाई तथा जल संरक्षण कार्यो को महानरेगा के अन्तर्गत प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(f) सिचाई एवं जल संरक्षण क्षेत्रो में अन्य केन्द्रीय और राज्य योजनाओ को भी महानरेगा कार्यो के साथ
सामन्जस्य स्थापित करते हुए उपयुक्त तरीके से कियान्वित किया जायेगा।

पास व्यवस्था:– जिला प्रशासन से प्राप्त की जायेगी।

9. कृषि उद्यानिकी एवं संबंद्ध गतिविधिया

(a) कृषि या उद्यानिकी से संबंधित वस्तुओ जैसे खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृखला से संबंधित अन्य सामानो की विकय की दुकाने

(b) कृषि की सभी कटाई एवं खेती के संचालन/गतिविधियां, कृषि श्रमिकों सहित

(c) अनाज, सब्जी एवं फल मण्डियां

(d) कृषि/उद्यानिकी उत्पादो का विकय

(e) मधुमक्खी पालन

(f) डेयरी आपूर्ति श्रृखला की चारा, दूध उत्पादन प्रसंस्करण, परिवहन वितरण एवं विकय आदि से संबंधित सभी गतिविधियां।

Scanned with CamScanner

(g) मत्स्य आखेट, जलीय कृषि उद्योग जिसमें फीडिंग एवं संधारण कटाई संस्करण पैकेजिंग कोल्ड चैन ब्रिकी और विपणन शामिल है।

(h) हैचरी, चारा संयंत्र, वाणिज्यिक एक्वेरिया

(i) पॉल्ट्री फार्म, हैचरी और पशुधन खेती गतिविधि सहित पशुपालन

(j) गौशाला एवं पशु आश्रय गृह

पास व्यवस्थाः— RAJCOP Citizen APP अथवा http://epass.rajasthan.gov.in पर एप्लाई करने पर प्राप्त होगे।

10. सामाजिक क्षेत्र

(a) शिशु/दिव्यांगो/मानसिक रूप से विकलांग/वरिष्ठ नागरिक/महिलाओ के लिये आश्रय गृहो का संचालन

(b) सुधार गृह देखभाल घरों तथा किशोरों के लिये सुरक्षित स्थान

पास व्यवस्थाः— RAJCOP Citizen APP अथवा http://epass.rajasthan.gov.in पर एप्लाई करने पर प्राप्त होगे।

11. खनन

(a) लिग्नाईट, लैड(जस्ता), जिंक एवं कॉपर सहित खनिजो का खनन

(b) खान विभाग द्वारा अनुमति के अनुसार अन्य खनिजो का खनन

(c) खानो के संचालन के लिये विस्फोटक एवं अनुषांगिक गतिविधियों के परिवहन एवं आपूर्ति

पास व्यवस्थाः— खनन विभाग के संबंधित SME द्वारा जारी

12. होटल एवं आतिथ्य सत्कार सेक्टर

(a) होटल्स, अतिथि गृह, लॉज एवं मॉल्स जिनमें लॉकडाउन के कारण फंसे हुए पर्यटक एवं व्यक्ति तथा मेडिकल एवं आपातकालीन स्टाफ, वायु एवं समुद्री चालक दल ठहरे हुए है

(b) क्वारिटाईन सुविधाओं के लिए चिन्हित/उपयोग किये गये प्रतिष्ठान

पास व्यवस्थाः— RAJCOP Citizen APP अथवा http://epass.rajasthan.gov.in पर एप्लाई करने पर प्राप्त होगे।

13. माल/परिवहन सेवाऐं एवं परिवहन

(a) सभी चिकित्सा और पशु चिकित्सा कर्मियो, वैज्ञानिको, नर्सो, पैरामेडिकल स्टाफ लैब तकनीशियनों, दाईया तथा अन्य अस्पताल सपोर्ट सेवाऐ एम्बूलेस सहित का (अन्तर जिला और अर्न्तराज्यीय वायु सेवा सहित) आवागमन।

(b) माल/कार्गो के (अन्तर जिला और अर्न्तराज्यीय) चढाने/उतारने व आवागमन की अनुमति निम्नानुसार होगीः—

(i) सभी माल वाहनो के चलने की अनुमति होगी।

(ii) रेल्वे का संचालन पार्सल व माल का परिवहन की ट्रेने।

(iii) राहत और निकासी तथा कार्गो के वायु परिवहन के लिये हवाई अड्डो व संबंधित सुविधाओ का संचालन।

(iv) कार्गो टान्सपोर्ट के लिये अर्न्तदेशीय कन्टेनर डिपो (**ICD**) का संचालन जिसमें अधिकृत कस्टम
(सीमा शुल्क)क्लीयरिंग और अग्रेषण एजेन्ट शामिल होगे।

(v) पैट्रोलियम उत्पादो एवं एलपीजी, खाद उत्पादो, चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक वस्तुओ के कॉस लेण्ड बॉर्डर परिवहन के लिये भूमि बन्दरगाहों का संचालन

(vi) सभी प्रकार के माल वाहक ट्रको तथा अन्य माल वाहको को दो वाहन चालक एवं एक हैल्पर सहित आवागमन इस शर्त के साथ कि ड्राईवर के पास वैध अनुज्ञा पत्र हो। खाली ट्रक/ वाहन को माल की डिलिवरी व सामान लेने के लिये अनुमति दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

(c) अर्न्तराज्यीय व राज्य के भीतर संयुक्त कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनो जैसे संयुक्त हार्वेस्टर (**Combined harvester**) और अन्य कृषि व उद्यानिकी औजार (**Implements**)

(d) गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी **SOP** के अनुसार **Quarantine** पूरा करने पर पारगमन यात्रा की व्यवस्था, भारत में विदेशी नागरिको के लिए/विदेशो से लौटने वाले भारतीयो हेतु।

(e) निम्नलिखित मामलो में व्यक्तियो की आवाजाही की अनुमति होगीः–

(i) चिकित्सा और पशु चिकित्सा देखभाल सहित आपातकालीन सेवाओ एवं आवश्यक वस्तुओ की खरीद के लिये निजी वाहन। ऐसे मामलो में चार पहिया वाहनो के मामलो के निजी वाहन चालक के अलावा एक यात्री को पीछे की सीट पर अनुमति होगी तथापि दुपहिया वाहन में वाहन चालक को ही अनुमति होगी।

(ii) अनुमत श्रेणी के सभी कार्मिको को घर से कार्य स्थल और कार्य स्थल से घर जाने की अनुमति।

(f) आपातकालीन आपवादिक मामलो में जिला प्रशासन या पुलिस की अनुमति से वाणिज्यिक व निजी वाहनो का अन्तर्राज्यीय आवागमन।

(g) ऑन ड्यूटी सरकारी वाहन (अनुबंधित सहित)

(h) अग्नि, कानून व्यवस्था, आवश्यक एवं आपात सेवाऐ।

पास व्यवस्थाः– RAJCOP Citizen APP अथवा http://epass.rajasthan.gov.in पर एप्लाई करने पर प्राप्त होगे।

14. जिला परिवहन अधिकारी द्वारा अस्पतालो के निकट बदलते हुये क्रम में टेक्सी/ऑटो की उपलब्धता के लिये एक छोटे पूल की व्यवस्था की जायेगी। यह व्यवस्था बीमार एवं सहयोगी व्यक्ति के अस्पताल से घर जाने के लिये की जायेगी। इसी प्रकार की परिवहन व्यवस्था घर से अस्पताल हेतु भी की जाये। इसका प्रबंधन पुलिस आयुक्तालय द्वारा जयपुर शहर में व ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिकारी ग्रामीण द्वारा किया जायेगा।

15. सामान्य सावधानिया

सभी क्षेत्रों एवं जिलो के लिये निम्नलिखित मानक सावधानियां एवं प्रतिबंध लागू रहेगें:–

सार्वजनिक स्थानः

(1) सार्वजनिक स्थानो, कार्यालय, कार्यस्थलो में चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

(2) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशो के अनुसार सार्वजनिक स्थानो, कार्य स्थलो और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेगे।

(3) सार्वजनिक स्थान का कोई संगठन/प्रबंधक पांच या अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति नही देगा।

(4) विवाह और अंतेष्टि जैसे कार्यक्रम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण व संबंधित उपखण्ड अधिकारी की अनुमति से किये जायेगे।

(5) सार्वजनिक स्थानो पर थूकना जूर्माने से दण्डनीय होगा।

(6) शराब, गुटका तम्बाकू की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा तथा थूकना पुरी तरह से प्रतिषेध होगा।

कार्य स्थलः–

(7) सभी कार्य स्थलो में तापमान जांच के लिये पर्याप्त व्यवस्था होगी तथा सार्वजनिक स्थानो पर सैनेटाईजर्स उपलब्ध कराये जायेगे।।

(8) कार्य स्थलो पर पारियो के मध्य एक घण्टे का अन्तराल होगा तथा सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिये कर्मचारियो के लंच ब्रेक में अन्तराल दिया जायेगा।

(9) 65 वर्ष से उपर के व्यक्ति औश्र सहरूगणता वाले व्यक्ति तथा ऐसे माता पिता जिनके 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हों को घर से कार्य करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।

(10) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को "आरोग्य सेतु ऐप" का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।

(11) सभी संगठन पारियों के मध्य में उनके कार्य स्थलों को सेनेटाईज करेगे।

(12) बड़ी सभाऐ निषिदध रहेगी।

Scanned with CamScanner

विनिर्माण प्रतिष्ठानः–

(13) आम सतहों की बार बार सफाई तथा अनिवार्य रूप से हाथों की धुलाई अनिवार्य होगी।

(14) पारीयों का अधिव्यापन नही होगा तथा सामाजिक दूरी के साथ कैन्टीन में लंच आदि का अन्तराल रखा जायेगा।

(15) अच्छी स्वच्छता विधियों पर सघन संचार एवं प्रशिक्षण दिया जायेगा।

उक्त दिशा निर्देशो की अवहेलना पर संबंधित के खिलाफ राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 के तहत एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड सहिता के सक्षम प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

उक्त निर्देशों की पालना हेतु जयपुर जिला अन्तर्गत निम्नानुसार नोडल अधिकारी होगेः–

क्र.सं.	विभाग का नाम	नोडल अधिकारी
1.	जिला प्रशासन	संबंधित इन्सीडेन्ट कमाण्डर (सभी उपखण्ड अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, दक्षिण, अति. जिला कलक्टर, उत्तर, अति. जिला कलक्टर, पूर्व, अति. जिला कलक्टर, तृतीय)
2.	पुलिस	कमिश्नर पुलिस जयपुर / पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण
3.	नगर निगम	आयुक्त नगर निगम
4.	जयपुर विकास प्राधिकरण	सचिव जे0वि0प्र0
5.	रीको	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
6.	उधोग	महाप्रबंधक
7.	चिकित्सा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम / द्वितीय
8.	कृषि उधानिकी एवं पशुपालन	संयुक्त निदेशक कृषि / उधानिकी / पशुपालन
9.	श्रम	संयुक्त श्रम आयुक्त
10.	खनन	खनिज अभियंता
11.	परिवहन	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
12.	महानरेगा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
13.	दुकाने / व्यापारिक प्रतिष्ठान	जिला रसद अधिकारी प्रथम / द्वितीय

उक्त अधिकारी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य सुसंगत प्रावधनों के अन्तर्गत आदेशों की पालना सुनिश्चित करेगे।

(डॉ जोगा राम)
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एव जिला कलक्टर जयपुर

क्रमांक / आपदा प्रबंधन / 2020 / 487 दिनांकः 19/4/20

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् संभागीय आयुक्त जयपुर / पुलिस आयुक्त जयपुर / महानिरीक्षक, पुलिस रेंज जयपुर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण / आसुचना / पुलिस उपायुक्त उत्तर / दक्षिण / पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय
3. आयुक्त नगर निगम जयपुर
4. अति.जिला कलक्टर प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / कोटपूतली / अति.जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर पूर्व / उत्तर / दक्षिण
5. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जयपुर
6. समस्त उपखण्ड अधिकारी / समस्त तहसीलदार / समस्त थानाधिकारी जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

7. निजी सहायक गोपनीय शाखा जिला कलक्टर/अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर/रक्षित पत्रावली।

अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एव जिला कलक्टर जयपुर

Scanned with CamScanner